उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 527/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादूनः दिनांकः 29 जून, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 7 की उपधारा (2)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के क्रम में यह अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यकलाप या संव्यवहार जिसमें उन्हें सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में नियोजित किया गया है, को न तो माल की पूर्ति न ही सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:-

संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को सौंपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से सेवा ।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 527/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -
1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बरोला)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 527/ 2017/9(120)/ XXVII(8)/ 2017 dated 29 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 527 /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 29 June, 2017

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council is pleased to allow to notify that the following activities or transactions undertaken by the Central Government or State Government or any local authority in which they are engaged as public authority, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

"Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary